न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 56/2011 (RCMS 2011/00034)

वादीगण

1. सुगनाराम पुत्र मगनाराम जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी क कायम मुकाम :–
   1/1– लक्ष्मीदेवी पत्नि स्व. सुगनाराम
   1/2– सन्तोष कंवर पुत्री स्व. सुगनाराम
   1/3– बजरंगसिंह पुत्र स्व. सुगनाराम
   1/4– महावीरसिंह पुत्र स्व. सुगनाराम
   1/5– गोपालसिंह पुत्र स्व. सुगनाराम जाति समस्त रावणा राजपूत नि. पलाड़ा

बनाम

प्रतिवादीगण

1.नन्दसिंह पुत्र स्व. मगनाराम
2.नानूड़ी देवी पत्नी स्व. रामूराम
3.राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. रामूराम
4.रघुवीरसिंह पुत्र स्व. रामूराम
5.महावीरसिंह पुत्र स्व. रामूराम जाति रावणा राजपूत निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
6.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

वाद वास्ते इस्तकरार हक,रेकर्ड दुरूस्ती व भू–विभाजन अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री दौलत खॉ, श्री माणकचन्द अधिवक्ता वादीगण की ओर से ।
श्री प्रभूराम गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 2, 4

निर्णय

दिनॉक :– 13/8/2022

वकुलाय उपस्थित। उभय पक्षकारान ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामन सिटी से प्राप्त हो चुकी है माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। वकील वादी की बहस पर वाद पत्र एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 05.11.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने बंटवारा स्कीम पत्रांक भू0अ0/2226 दिंनाक 6.12.2019 के द्वारा भिजवाई गई, बंटवारा स्कीम शामिल

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मिसल उपलब्ध है। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि वादी का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

ग्राम पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा 197 रकबा 1.93 हैक्टर में से (0.6633 हैक्टर में वादीया लक्ष्मीदेवी 1/15, सन्तोष कंवर 1/15, बजरंगसिंह 1/15, महावीरसिंह 1/15, गोपालसिंह 1/15, पुत्रान स्व. सुगनाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है), तथा प्रतिवादी संख्या 1 नन्दसिंह पुत्र मगनाराम को 1/3 हिस्सा अर्थात 0.6633 हैक्टर, प्रतिवादी नानूडी देवी 1/12, राजेन्द्रसिंह 1/12, रघुवीरसिंह 1/12, महावीरसिंह 1/12, पुत्रान स्व. रामूराम को खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है एवं खसरा नम्बर 196 रकबा 0.06 हैक्टर में प्रतिवादी नानूडी देवी 1/12, राजेन्द्रसिंह 1/12, रघुवीरसिंह 1/12, महावीरसिंह 1/12, पुत्रान स्व. रामूराम को खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है एवं वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम हटाया जाता है। बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 13/8/2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत: उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट(R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 56/2011 (RCMS 2011/00034)

वादीगण

1. सुगनाराम पुत्र मगनाराम जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी क कायम मुकाम :–
   1/1– लक्ष्मीदेवी पत्नि स्व. सुगनाराम
   1/2– सन्तोष कंवर पुत्री स्व. सुगनाराम
   1/3– बजरंगसिंह पुत्र स्व. सुगनाराम
   1/4– महावीरसिंह पुत्र स्व. सुगनाराम
   1/5– गोपालसिंह पुत्र स्व. सुगनाराम जाति समस्त रावणा राजपूत नि. पलाड़ा

बनाम

प्रतिवादीगण

1.नन्दसिंह पुत्र स्व. मगनाराम
2.नानूड़ी देवी पत्नी स्व. रामूराम
3.राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. रामूराम
4.रघुवीरसिंह पुत्र स्व. रामूराम
5.महावीरसिंह पुत्र स्व. रामूराम जाति रावणा राजपूत निवासी पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
6.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

वाद वास्ते इस्तकरार हक,रेकर्ड दुरूस्ती व भू–विभाजन अन्तर्गत धारा 88,53 R.T.Act 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री दौलत खॉ एवं श्री माणकचन्द हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है ग्राम पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी के खसरा 197 रकबा 1.93 हैक्टर में से (0.6633 हैक्टर में वादीया लक्ष्मीदेवी 1/15, सन्तोष कंवर 1/15, बजरंगसिंह 1/15, महावीरसिंह 1/15, गोपालसिंह 1/15, पुत्रान स्व. सुगनाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है), तथा प्रतिवादी संख्या 1 नन्दसिंह पुत्र मगनाराम को 1/3 हिस्सा अर्थात 0.6633 हैक्टर, प्रतिवादी नानूडी देवी 1/12, राजेन्द्रसिंह 1/12, रघुवीरसिंह 1/12, महावीरसिंह 1/12, पुत्रान स्व. रामूराम को खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है एवं खसरा नम्बर 196 रकबा 0.06 हैक्टर में प्रतिवादी नानूडी देवी 1/12, राजेन्द्रसिंह 1/12, रघुवीरसिंह 1/12, महावीरसिंह 1/12, पुत्रान स्व. रामूराम को खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है एवं वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम हटाया जाता है। बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 13 माह 08 सन् 2012 को जारी की गई।

(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तखत ....

ओहदा ....

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमि□नर		
फिस कमि□नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) कुचामन सिटी

क्रमांक/भू.अ. 2226 दिनांक 6-12-19

प्रेषिति :- श्रीमान्, उपखण्ड अधिकारी महो०
कुचामनसिटी

विषय :- राजस्व वाद सं. 56/2011 सुगनाराम बनाम नन्दाराम वगै० में पारित प्रारंभिक डिक्री आदेश की पालना बाबत।

प्रसंग :- श्रीमान् के पत्रांक/राजस्व/2019/206 दिनांक 30-10-19

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व वाद सं. 56/2011 में न्यायालय के निर्णय दिनांक 22-01-19 के अनुसार जारी प्रारंभिक डिक्री आदेशानुसार बंटवारा स्कीम मय पटवारी तैयार करवाई गई है।

अतः मूल ही बंटवारा स्कीम तैयार की जाकर श्रीमान् की सेवा में सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

फर्द-मौका

श्रीमान, तहसीलदार सा० कुचामनसिटी के आदेश क्रमांक/ भू०अ०/ 1875 दिनांक 5-11-19 की पालना में मा० न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के राजस्व वाद सं. 56/2011 सुगनसिंह बनाम नन्दाराम वगैरा० में पारित प्रारम्भिक डिक्री आदेश की पालना में आज दिनांक 19-11-19 को ग्राम पलाड़ा के ख० नं० 196, 197 कुल रकबा 1.99 है० के मौके पर पटवारी हल्का पलाड़ा के साथ पहुंचा। मौके पर पक्षकारान उपस्थित मिले। राजस्व रेकर्ड व मौके का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त ख० नं० 196, व 197 की खातेदारी गोपालसिंह 1/5 बजरंगसिंह 1/5 महावीरसिंह 1/5 पि० सुगनसिंह लक्ष्मी देवी पत्नि सुगनसिंह 1/5 नन्दसिंह पुत्र मगनाराम 1/3 नारूदेवी पत्नि रामूराम 1/2 महावीरसिंह 1/2 रघुवीरसिंह 1/2 राजेन्द्रसिंह 1/2 पि० रामूराम सभी बसंध पुत्री सुगनसिंह 1/5 जाति रावणा राजपूत सा० पलाड़ा की सहखातेदारी में दर्ज है। मौका स्थिति अनुसार उक्त ख० नं. 196, 197 का विभाजन किया हुआ नहीं है तथा संयुक्त जोत के रूप में ही उपयोग किया जा रहा है। उपस्थित पक्षकारान ने आपसी सहमति से निम्न नजरी नक्शानुसार जोत विभाजन करने हेतु सहमति जताई।

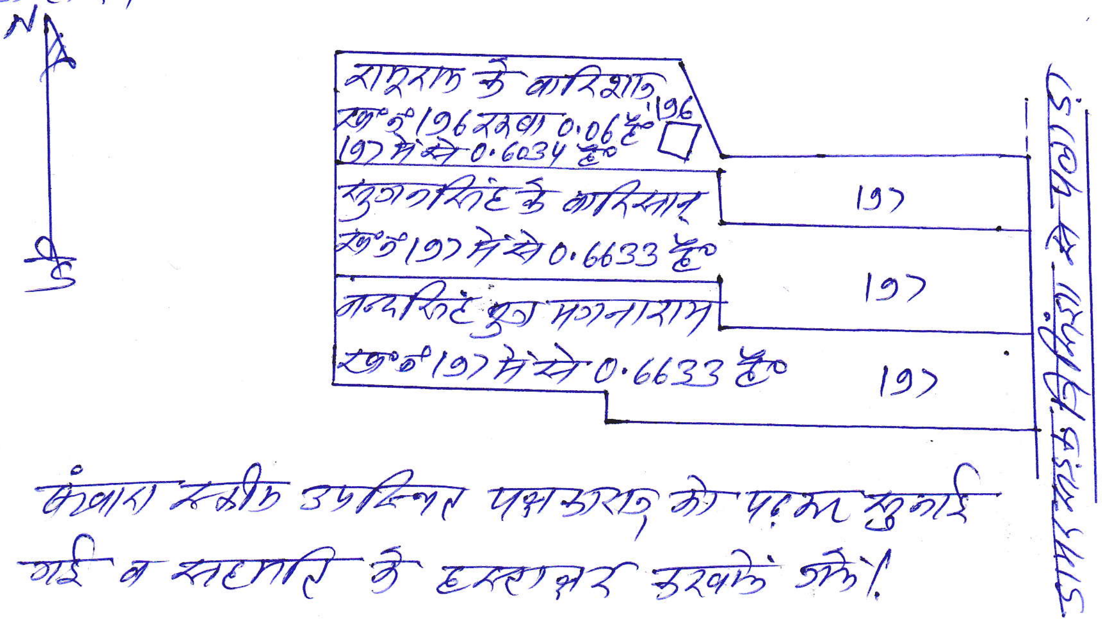

मौका स्कीम उपस्थित पक्षकारान को पढ़कर सुनाई गई व सहमति के हस्ताक्षर करवाये गये।

आ.नि. नन्दसिंह

आ.नि. (लक्ष्मीदेवी)

आ.नि. नारूदेवी

बजरंग सिंह

(हरिसिंह)

पटवारी

19/11/19

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी